UPME010083012026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01 मेरठ।
उपस्थित :– राकेश कुमार–V (एच०जे०एस०)
JO Code NO. UP–6155
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–2786/2026
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2254/2026

सुमन देवी ... ...प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

उ०प्र०राज्य ... ...विपक्षी

धारा –85, 115(2), 351(2), 80 बी०एन०एस०
व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना – भावनपुर, जिला मेरठ
मु०अ०सं० 84 सन् 2026

07.07.2026

1– पुलिस थाना भावनपुर, जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 84 सन् 2026, अंतर्गत धारा 85, 115(2), 351(2), 80 बी०एन०एस० व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित सुमन देवी पत्नी सुभाष, निवासी–किला मार्ग, खावाजहपुर, रियाल, जिला मेरठ की ओर से धारा 482 बी०एन०एस०एस० के अधीन अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि यह प्रार्थिनी अभियुक्ता का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र हैं तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ में लंबित नहीं हैं।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार मेरा नाम कुंवरपाल सिंह पुत्र जगपाल सिह हैं। मैं ग्राम पोस्ट हैदरपुर, हापुड, थाना गढ़मुकेश्वर का निवासी हूं। मैंने अपनी बेटी सरिता का विवाह 26 जनवरी 2020 को ख्वाजाँपुर (मेरठ) जिला मेरठ में किया था जो कि बिटटू पुत्र सुभाष के साथ हुआ था। मेरी बेटी के मात्र एक बार वापस जाने पर व आने पर ही उससे तरह–तरह की मांगे पूरी भी की परन्तु कुछ समय बाद मेरी बेटी के बेटा होने पर उन्होने छूछक के नाम पर भी काफी सारी मांगे की व पूरी न होने पर मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार व साथ ही मेरे घर भी छोड गये। उस समय मेरी बेटी गर्भावस्था में थी इसलिये हमने समझा बुझाकर बच्चे की वजह से कोई मामला आगे नहीं बढ़ाया। पिछले 04 माह से मेरी बेटी बहुत ज्यादा परेशान की जा रही थी व काफी बार मार पिटाई भी की गई थी पर धमकियों व डराने की वजह से मेरी बेटी ने हमे बताना भी बंद कर दिया। रक्षाबंधन जैसे पर्व पर भी उसको प्रताडित किया गया कि मुझे भेट में कम पैसे मिले, मेरी बेटी सरिता के साथ प्रतिदिन मारपीट व दहेज प्रताडना लगातार किये जाने में मुख्यतः सैंकी (ननद) पुत्री सुभाष जो कि ग्राम नवल (जिला हापुड) मे विवाहित है। शनि (देवर) पुत्र सुभाष, बिट्टू पुत्र सुभाष, सुमन पत्नी सुभाष के लगातार मारपीट करने व दहेज के लिये अति प्रताडित करने के कारण फांसी लगाने के लिये मजबूर किया, मेरी बेटी सरिता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अतः मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

4– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी अभियुक्ता निर्दोष है तथा प्रार्थिनी अभियुक्ता को उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थिनी अभियुक्ता के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। प्रार्थिनी अभियुक्ता, जो कैंसर (Cancer) की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, को वर्तमान मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। वादी द्वारा तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि मृतिका सरिता का प्रार्थिनी के पुत्र से दूसरा विवाह हुआ

था। इससे पूर्व मृतका की शादी अशोक नामक व्यक्ति से हुई थी जिसने आत्महत्या कर ली थी। मृतका अवसाद (Depression) की शिकार थी जिसके बारे में परिवार को विवाह के पश्चात ज्ञात हुआ। घटना के दिन सरिता ने स्वयं आत्महत्या की इसके तुरंत बाद प्रार्थिनी के परिवार ने मृतका के मायके वालों को सूचित किया और उसे अस्पताल ले गए। प्रार्थिनी द्वारा कभी भी मृतका से दहेज की मांग नहीं की गई, न ही कोई उत्पीड़न या मारपीट की गई। यदि ऐसी कोई मांग होती तो घटना से पूर्व वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। वादी कुंवरपाल के कहने पर प्रार्थिनी के पति सुभाष ने मृतका के बच्चों के नाम कृषि भूमि एवं मकान /घेर का दान पत्र (रजिस्ट्री) दिनांक 24.03.2026 एवं 26.03.2026 को कर दिया। इसके बाद वादी को गांव के गणमान्य लोगों ने समझाया जिसके बाद वादी एवं अन्य लोगों ने शपथपत्र दिनांक 26.03.2026 को प्रस्तुत किए जिसमें स्पष्ट कहा गया कि कोई दहेज मांग या उत्पीड़न नहीं किया गया। उक्त शपथपत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किए गए। प्रार्थिनी वर्ष 2022 से गंभीर कैंसर से पीड़ित है, जिसके लिए कीमोथेरेपी व रेडियेशन थेरेपी दी जा रही है, जिसका उसके हृदय, यकृत (Liver), गुर्दे (Kidney) व फेफड़ों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और जेल में उपचार संभव नहीं है, इससे उसकी जान जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णयों (जैसे Manish Sisodia, Satender Kumar Antil, Gudikanti Narasimhulu) के अनुसार जमानत नियम है और जेल अपवाद, अभियुक्त को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई अंदेशा नहीं है। अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के दृष्टिगत अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिनी अभियुक्ता **श्री परवेज आलम**, वादी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी **श्री शिवम गुप्ता** के तर्कों को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रार्थिनी अभियुक्ता जोकि मृतका सरिता की सास है, पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री/मृतका सरिता से विवाह के बाद दहेज की माँग करने, उनकी माँग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट कर उपहति कारित करते हुए उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने तथा घटना की दिनांक को फाँसी लगाकर उसकी दहेज हत्या कारित करने का आक्षेप है। केस ड़ायरी के पर्चा सं० –09 में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा कुंवरपाल के बयान लेखबद्ध कराए गए हैं। उक्त बयानों में वादी मुकदमा द्वारा प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए अभिकथन किया गया है। इसी प्रकार केस ड़ायरी के पर्चे सं० –10 में ही प्रकरण के साक्षीगण श्रीमती समन्तरा, श्रीमती कोमल, मनदीप कुमार आदि के बयान लेखबद्ध कराए गए हैं। उक्त बयानों में इन साक्षीगण द्वारा कथन किया गया है कि सरिता की पहली शादी उसकी बड़ी बहन सीतल के साथ ग्राम छतरी में हुई थी, लेकिन वह लड़का जंगल में फाँसी लगाकर मर गया था, जिसके बाद वे सरिता को घर ले आए। इसके बाद 26 फरवरी 2020 को उन्होंने सरिता की दूसरी शादी मनीष उर्फ बिट्टू पुत्र सुभाष, निवासी ख्वाजापुर, थाना भावनपुर, मेरठ के साथ की, जिसमें उन्होंने फर्नीचर, घरेलू सामान, स्पलेंडर मोटरसाइकिल, सात तोले सोना, चाँदी की वस्तुएँ और रिश्तेदारों के कपड़े दहेज में दिए थे। ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और सास सुमन, पति मनीष, देवर अवनीश उर्फ शनि, तथा ननद शैंकी सभी सरिता को प्रताड़ित करते थे। बेटा होने पर उन्होंने छूछक में पाँच लाख रुपये और गाड़ी की माँग की थी और दहेज न लाने पर सरिता के साथ मारपीट करते थे। डर के कारण वह रोज बात नहीं करती थी, पर जब भी करती तो उन्हें बताती कि वे पाँच लाख रुपये माँग रहे हैं, हालाँकि डर के कारण पूरी बात नहीं बताती थी और अंदर ही अंदर प्रताड़ना सहती रही। दिनांक 14 मार्च 2026 को सरिता के ससुर ने उन्हें बताया कि सरिता ने फाँसी लगा ली, पर हमारा मानना है कि दहेज के लोभियों ने उसे मारकर फाँसी पर लटका दिया है। अभिलेख पर उपलब्ध मृतका सरिता की शव–विच्छेदन आख्या में चिकित्सक द्वारा उसकी गर्दन पर आई मृत्यु पूर्व की 01 चोट के सम्बन्ध में Ligature mark of size 23cm x 2cm oblique from right to left & backwards, total neck circumference is 32cm, Base of groove is brown black, parchment like, margins abraded, subcutaneous tissues underneath ligature mark is white & glistening, C2, C3 cervical vertebrae fractured & hyoid bone found intact. This ligature mark 6cm below from right ear, 4cm below from right mid jaw, 5cm below from chin, 1cm below from left mid jaw, just below from left ear, 10cm above from sternum notch. अंकित करते हुए उसकी मृत्यु का कारण Ashphyxia as a result of ante

mortem hanging, however routine viscera preserved to rule out any intoxication. अंकित किया गया है। प्रार्थिनी अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रश्नगत अग्रिम जमानत की सुनवाई के समय कथन किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीड़िता के द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी है। उसके ससुरालीजन पति/रिश्तेदारों की इसमें कोई भूमिका नहीं है क्योंकि मृतका के द्वारा घर से बाहर जाकर घेर के अन्दर आत्महत्या की गयी है किन्तु प्रार्थिनी अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को इस स्तर पर तर्क संगत नहीं माना जा सकता हैं क्योंकि उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रश्नगत घेर का मृतका के पति और उसके परिजनों से कोई सम्बन्ध था साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिस घेर में मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी है, वह मृतका के ससुरालीजन का नहीं था। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता "फौज०" द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नगत घटना दिनांक 14.03.2026 की है तथा दिनांक 15.03.2026 को इस सम्बन्ध में थाने पर प्राथमिकी पंजीकृत करा दी गयी थी जिसके उपरान्त मृतका के ससुर सुभाष चन्द के द्वारा दिनांक 24.03.2026 को मृतका के पुत्रों युवनीत राठी उम्र 04 वर्ष व निकुंज राठी उम्र 06 वर्ष के पक्ष में कृषि भूमि के 02 खेत तथा 01 आवासीय मकान हस्तान्तरित किए गए हैं जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा कथन किया गया है कि इस तथ्य से यह और भी अधिक गम्भीर प्रकरण हो जाता है कि मृतका के ससुरालीजन के द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्षीगण को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि प्रार्थिनी अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्षीगण द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्रों की छायाप्रति प्रश्नगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल की गयी हैं जिनमें अभियोजन पक्ष के साक्षीगण द्वारा शपथपूर्वक कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त शपथपत्रों का निस्तारण साक्ष्य आने के पश्चात गुण-दोष के आधार पर ही हो पाएगा। यह भी सही है कि प्रार्थिनी अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थिनी अभियुक्ता के इस आशय के चिकित्सीय प्रपत्र प्रश्नगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं कि प्रार्थिनी अभियुक्ता कैंसर से पीड़ित है और वह उपचाराधीन है किन्तु अग्रिम जमानत को विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप स्वीकार किया जा सकता है, जब कि आवेदक पर बिना किसी आधार के गिरफ्तारी कर अपमानित करने के उद्देश्य से झूठा अभियोग लगाया गया हो। प्रार्थिनी अभियुक्ता को मृतका की सास होना बताया गया है तथा प्रश्नगत प्रकरण की घटना में मृतका की मृत्यु शादी के 07 वर्ष के भीतर अस्वाभाविक परिस्थितियों में उसके ससुराल में होना इस स्तर पर अभिलेख के परिशीलन से दर्शित हो रहा है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस स्तर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध में संलिप्तता प्रतीत होती है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थिनी अभियुक्ता के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है यदि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो उसके द्वारा विवेचना को प्रभावित किए जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त के आलोक में अभियुक्ता को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाता हूं।

आदेश

प्रार्थिनी अभियुक्ता सुमन देवी पत्नी सुभाष की ओर से प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01
मेरठ।
07.07.2026

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.07.10 11:16:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court